बाल दुर्व्यापार मानवता पर कलंक है। आइए, हम सब मिलकर बाल दुर्व्यापार के अभिशाप को मिटाने का संकल्प लें।

श्री कैलाश सत्यार्थी

नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित
बाल अधिकार कार्यकर्ता

SATYARTHI
KAILASH SATYARTHI CHILDREN'S FOUNDATION

23, फ्रेंड्स कॉलोनी वेस्ट,
नई दिल्ली 110065

फोन: 91 11 47511111
ईमेल: info@satyarthi.org
वेबसाईट: www.satyarthi.org

बाल दुर्व्यापार (ट्रैफिकिंग) एक संगठित अपराध है।

बाल दुर्व्यापारियों सावधान
अब न छुपेगी तुम्हारी पहचान

बाल दुर्व्यापार करने वालों
अब जेल तुमको जाना होगा

मुक्ति कारवां

बाल दुर्व्यापार के खिलाफ जन-जागरुकता अभियान

'मुक्ति कारवां' एक सचल दस्ता है जो गांव-गांव में घूमकर बाल दुर्व्यापार (ट्रैफिकिंग), बाल मजदूरी और यौन शोषण जैसी बुराइयों के खिलाफ जन-जागरुकता फैलाने का काम करता है। इस दस्ते में करीब 10 से 15 नौजवान होते हैं, जो ज्यादातर बाल दुर्व्यापार और बाल मजदूरी से मुक्त कराए हुए होते हैं। ये नौजवान नुक्कड़ नाटक, दीवार लेखन, जन-जागरण गीत, छोटी-छोटी बैठकों और सभाओं के जरिए बच्चों की खरीद-फरोख्त के कारोबार, बच्चों के यौन शोषण, उससे रोकने के उपायों और कानूनों के बारे में लोगों को जागरुक करते हैं। मुक्ति कारवां 1997 से शुरू होकर बाल दुर्व्यापार बहुल राज्यों में भ्रमण करते हुए अब तक 4 लाख किलोमीटर की यात्रा तय कर लाखों लोगों को बाल दुर्व्यापार के खिलाफ जागरुक कर चुका है।

मुक्ति कारवां क्यों?

देश में बाल दुर्व्यापार लगातार बढ़ रहा है। मानव दुर्व्यापार के शिकार लोगों में बच्चों की संख्या करीब 60 फीसदी होती है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि हर घंटे एक बच्चा दुर्व्यापार का शिकार हो जाता है। यानी वह जबरिया मजदूरी, भीखमंगी, वेश्यावृत्ति आदि के लिए खरीदा-बेचा जाता है और फिर गुलाम बना लिया जाता है। झारखंड की ऐसी ही एक 15 साल की मासूम बच्ची कमला (बदला हुआ नाम) को एक दलाल बहला-फुसला कर दिल्ली लाया और एक अमीर आदमी को बेच दिया। वह उसे गुलाम बनाकर घरेलू नौकरानी का काम कराता था। जब कमला दलाल से अपनी तनख्वाह की जिद करने लगी तो एक दिन दलाल ने उसकी हत्या कर दी और उसकी लाश के 12 टुकड़े करके नाले में फेंक दिया। कमला जैसा दर्दनाक हादसा किसी और बच्चे के साथ न हो, इसके लिए ही मुक्ति कारवां की जरूरत है।

मुक्ति कारवां का उद्देश्य

1. बाल दुर्व्यापार के खिलाफ लोक जागरण
2. बाल दुर्व्यापार के कानूनों के बारे में लोगों को जागरुक करना
3. सरकार की "बचपन सुरक्षित" बनाने की योजनाओं का प्रचार
4. बाल दुर्व्यापार के मुद्दे पर मीडिया को और संवेदनशील बनाना
5. बाल दुर्व्यापारियों की पहचान और उन्हें सजा दिलवाना
6. बाल दुर्व्यापार के खिलाफ और कठोर कानून बनवाना
7. बच्चों के यौन शोषण के खिलाफ लोगों को जागरुक करना

कानून के मुताबिक किसी बच्चे को गुलाम बना कर खरीदा-बेचा नहीं जा सकता है और न ही उससे मजदूरी कराई जा सकती है। सभी बच्चों को मुफ्त पढ़ाई का अधिकार मिला हुआ है। इसलिए बच्चों को काम करने की बजाय स्कूल में पढ़ाई करनी चाहिए।

मानव दुर्व्यापार अवैध हथियारों और नशीले पदार्थों के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा संगठित अपराध है। भारत में यह तेजी से पांव पसार रहा है। हर साल हजारों बच्चे दुर्व्यापार के शिकार हो रहे हैं। जिनका जीवन गुलामी और दासता में बीत रहा है। हमें इसे रोकना होगा और उनका भविष्य संवारना होगा और गुलामी से आजादी की दिशा में बचपन बचाओ आंदोलन (बीबीए) के प्रयास के परिणाम हमारे सामने हैं। हम यहां दुर्व्यापार के शिकार रहे ऐसे चार बच्चों की कहानी बता रहे हैं जिनका अतीत गुलामी में बीता और अब वे आजाद होकर अपना भविष्य बेहतर बनाने में जुटे हुए हैं। कानूनी रूप से हम ऐसे बच्चों की पहचान उजागर नहीं कर सकते, इसलिए उनके नाम बदल दिए गए हैं।

रहमान (बाल मजदूरी से शिक्षा की ओर)

सोलह साल का रहमान बिहार के सीतामढ़ी जिले का है। उसके पिता दिहाड़ी मजदूर हैं। जब वह 9 साल का था, तब दुर्व्यापार का शिकार हुआ। एक दलाल उसके मां-बाप को बहला-फुसला कर उसे दिल्ली ले आया और एक जरी फैक्ट्री में बाल मजदूर बना दिया। इस मासूम बच्चे से 16-17 घंटे काम कराया जाता था। खाना मांगने और काम न कर पाने पर मालिक पिटाई भी करता था। बीबीए ने अपनी छापामार कार्रवाई में उसे न केवल गुलामी से मुक्त कराया, बल्कि उसकी पढ़ाई-लिखाई का बंदोबस्त भी किया। फिलहाल तो वह बीबीए द्वारा संचालित 'बाल आश्रम' में रहते हुए 10वीं की परीक्षा की तैयारी कर रहा है। वह एक मेधावी छात्र है और उसकी तेज बुद्दि का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि नौंवी कक्षा में उसे 80 फीसदी से ज्यादा अंक मिले थे। पढ़ाई के साथ-साथ रहमान शास्त्रीय संगीत भी सीख रहा है। वह अच्छा गायक है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुए लॉरिएट्स एंड लीडर्स सम्मिट फॉर चिल्ड्रेन को वह संबोधित भी कर चुका है।

गौरी (सुरक्षित बेटियां देश की पहचान)

गौरी की उम्र इतनी नहीं है, जितनी उस पर हुए अत्याचारों की फेहरिस्त है। उसके साथ जो अत्याचार हुआ, उसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसके चचेरे भाई ने ही रिश्तों को तार-तार करते हुए उसे एक दलाल को बेच दिया। झारखंड की गौरी को दलाल खरीद कर गुमला ले आया। फिर उसे एक कमरे में बंद कर उसके साथ कई दिनों तक बलात्कार किया गया। इसके बाद उसे दिल्ली की एक प्लेसमेंट एजेंसी को बेच दिया गया। उसके साथ फिर बलात्कार और शारीरिक शोषण का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। उसे एक घर में नौकरानी बना दिया गया और गुलामों की तरह बिना वेतन के काम कराया जाता था। शोषण और अत्याचार से परेशान हो कर एक दिन वह वहां से भाग निकली और किसी के बताने पर वह मदद के लिए बीबीए ऑफिस पहुंची। बीबीए ने कानूनी लड़ाई लड़ कर न केवल उसके वेतन के पैसे दिलवाए, बल्कि दलालों को जेल भी भिजवाया।

मीना (बेटी बचाएंगे, देश बचाएंगे)

असम की मीना जब 17 साल की थी तब उसे एक प्लेसमेंट एजेंसी को महज 22,000 रुपए में बेच दिया गया था। वह एक घर में घरेलू नौकरानी के रूप में काम करने लगी। बिना तनख्वाह के उससे 15-15 घंटे की हाड़-तोड़ मेहनत करवाई जाती थी। कुछ बोलने पर उसे मारा-पीटा जाता। उसके साथ बलात्कार भी हुआ। मीना ने अपने माता-पिता को बचपन में ही खो दिया था और वह चाची के साथ रह रही थी। इसी का फायदा उठा कर एक दलाल उसे अच्छी नौकरी और बेहतर भविष्य का झांसा देकर दिल्ली लाया और एक प्लेसमेंट एंजेसी को बेच दिया। लंबे समय तक जब मीना का कुछ पता नहीं चला तो उसकी चाची ने बीबीए से संपर्क किया। बीबीए ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। एक महीने की जांच-पड़ताल के बाद दिल्ली पुलिस ने हरियाणा पुलिस की मदद से सोनीपत में मीना को ढूंढ निकाला। मीना को बेचने वाले दलालों और जबरिया काम कराने वाले मालिक को गिरफ्तार भी किया गया। मीना को पौने दो लाख रुपए बकाए मजदूरी के तौर पर और ढाई लाख रुपये अंतरिम मुआवजे के रूप में दिया गया। सोनीपत अदालत ने अपराधियों को दस साल के कारावास की सजा भी सुनाई है।

राजू (बचपन के लिए आजादी)

बारह साल के राजू की खिलखिलाहट में गुलामी और आजादी का फर्क साफ देखा जा सकता है। करीब तीन साल पहले राजू अपने घर के बाहर से गायब हो जाता है। उसके पिता दिल्ली में दिहाड़ी मजदूर हैं। अपने गुम हुए बच्चे की तलाश में दर-दर भटकते हुए एक दिन वे बीबीए ऑफिस आते हैं और राजू को खोजने की गुहार लगाते हैं। राजू के पिता ने एक बाल दुर्व्यापारी पर उसके बच्चे को चुराने का शक जाहिर किया। बीबीए ने पुलिस में उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की और उसकी शिनाख्त पर कई जगह छापामारी की। इस छापामारी में राजू तो नहीं मिला, लेकिन बाल मजदूरी कर रहे दर्जनों बच्चों को आजाद कराया गया। आखिरकार दो साल की कड़ी मेहनत के बाद राजू को हरिद्वार की बाल कल्याण समिति की मदद से तलाश लिया गया और उसको उसके मां-बाप से मिलवा दिया गया।

अभी आपने जिन चार बच्चों की कहानी पढ़ी वे भाग्यशाली थे कि गुलामी से मुक्त हो पाए। लाखों बच्चे अभी भी आजादी की बाट जोह रहे हैं। अब और बच्चे गुलामी के चंगुल में न फंस पाएं, इसके लिए आपको आगे आना होगा और इन्हें बचाने का प्रयास करना होगा।

आप क्या कर सकते हैं?

1. **बाल दुर्व्यापारियों और दलालों पर नजर रखें।**
2. **कोई भी संदिग्ध व्यक्ति के साथ बच्चों को देखें तो उनसे पूछताछ करें और दलाल का शक होने पर पुलिस को 100 नंबर पर या फिर चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर 1098 और बचपन बचाओ आंदोलन (बीबीए) की हेल्पलाइन 1800102722 पर सूचित करें।**
3. **किसी बच्चे को ढाबे या फिर किसी कारखाने आदि में काम करते देखें तो भी पलिस को 100 नंबर पर या फिर चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर 1098 और बचपन बचाओ आंदोलन (बीबीए) की हेल्पलाइन 1800102722 पर सूचित करें। बच्चों से बाल मजदूरी कराना अपराध है। इन नंबरों को अपने मोबाइल फोन में दर्ज कर लीजिए।**
4. **रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर खास नजर रखें। दलाल बस और ट्रेन से ही बच्चों को महानगरों में ले जाकर बेचते हैं। आप ऊपर दिए गए नंबरों के अलावा रेलवे हेल्प लाइन नंबर 1800-111-322 और 182 पर भी इसकी सूचना दे सकते हैं।**
5. **अपने गांव-कस्बे में इसके लिए निगरानी दल का गठन कर सकते हैं।**
6. **अपने गांव के मुखिया से मांग करें कि वह गांव से पलायन करने वाले लोगों और खासकर बच्चों का एक रजिस्टर तैयार करें। इस रजिस्टर में बच्चे कहां जा रहे हैं, किस मकसद से जा रहे हैं, उन्हें कौन ले जा रहा है, आदि का विवरण होगा।**
7. **अगर आप के पास बच्चों के बचपन को सुरक्षित बनाने का कोई सुझाव हो तो हमें मेल आईडी campaign@satyarthi.org पर जानकारी दे सकते हैं।**

दुर्व्यापारी (ट्रैफिकर्स) की पहचान कैसे करें

यदि आपके घर या आस-पास के घर कोई परिचित, अपरिचित, दोस्त या रिश्तेदार आता है और वह आपके लड़के-लड़की को दिल्ली, मुम्बई, सूरत या किसी अन्य महानगर में पढ़ाई या रोजगार देने का लालच देता है और इसके बहाने आपको कुछ पैसे देता है तो समझिए कि वह दुर्व्यापारी और दलाल है। वह आपके बच्चे को शहर में ले जाकर बेच देगा। फिर उनसे बाल मजदूरी और वेश्यावृत्ति आदि कराई जाएगी। ऐसे दलालों की शिकायत फौरन पुलिस से करें। यह कानूनी रूप से जुर्म है और ऐसे लोगों के लिए सजा का प्रावधान है।

दुर्व्यापारी (ट्रैफिकर्स) के लिए सजा का प्रावधान

बच्चों का दुर्व्यापार कानूनी अपराध है। जिसे कराने वाले और बच्चों को बेचने वाले मालिक, दलाल या मां-बाप को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 370 और 370 (ए) के तहत 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। आजीवन कारावास का मतलब है कि अपराधी को पूरा जीवन जेल में ही बिताना होगा।